अध्याय V
ब्याज का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 68 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियम के अन्तर्गत सेवाकर का भुगतान करने के लिए जहाँ एक जिम्मेदार व्यक्ति निर्धारित समय के अन्दर कर तथा उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, वह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत चूक की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान करने का दायी है। ब्याज का भुगतान न करने के दो मामले जिनमें ₹32.88 लाख का राजस्व शामिल है, नीचे उल्लिखित है। दो ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के माध्यम से मंत्रालय को इन आपत्तियों की सूचना दी गई। मंत्रालय/विभाग ने दोनों लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली थी जिसमें से ₹7 लाख की वसूली कर ली गई थी।

5.1 अचल सम्पत्ति और विज्ञापन सेवाएं

सेवाकर नियंमावली, 1994 के नियम 6(1) के अनुसार, किसी माह के दौरान एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के सम्बन्ध में सेवाकर का भुगतान मार्च माह जिसमें कर का भुगतान स्वयं मार्च की 31 तारीख तक किया जाना है, को छोड़कर माह जिसमें भुगतान प्राप्त किया जाता है, के तुरन्त उत्तरवर्ती माह की 5 तारीख तक केन्द्रीय सरकार को क्रेडिट किया जाना होता है। नियत तिथि तक सेवाकर के भुगतान में विफल होने पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज लगता है।

हैदराबाद-II कमिश्नरी में, विज्ञापन सेवा के लिए स्थल की बिक्री और अचल सम्पत्ति सेवा की रेन्टिंग प्रदान करने में लगे मै. हैदराबाद मैट्रो डिवलपमेण्ट अथॉरिटी (एचएमडीए) ने 2007-08 और 2008-09 वर्षों के लिए इन सेवाओं पर नियत तिथि के बाहर 30 से 727 दिनों के विलम्ब से ₹287.54 लाख का भुगतान किया। निर्धारिती से उस पर ₹19.36 लाख का ब्याज वसूल की जाने की आवश्यकता थी।
जब हमने इसे सूचित किया (सितम्बर 2009), विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और बताया (जून 2010) कि विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज की वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

5.2 भण्डार एवं माल गोदाम सेवाएं

हल्दिया कमिश्नरी में मै. एएम एन्टरप्राइसेज और कोलकाता सेवाकर कमिश्नरी में मै. बीपीसीएल, कोलकाता क्रमशः पत्तन सेवा और भण्डार एवं मालगोदाम सेवाओं के पंजीकृत सेवाकर भुगतानकर्त्ता थे। अप्रैल 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान मै. एएम एन्टरप्राइसेज ने सेवा प्रदान किए जाने के लिए अग्रिम एकत्रित किए लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों से बिलों का निपटान होने पर बाद में सेवाकर का भुगतान किया। मै. बीपीसीएल के

मामले में 2004-05 से 2006-07 तक (जनवरी 2007 तक) की अवधि के लिए भण्डार एवं माल गोदाम पर सेवाकर का भुगतान मार्च 2007 में किया गया। भुगतान में विलम्ब एक माह से चौबीस माह तक के बीच रहा। सेवाकर के ऐसे विलम्बित भुगतान पर क्रमशः ₹ 2.28 लाख और ₹ 6.52 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने सूचित किया (जुलाई 2009 एवं दिसम्बर 2008), तब विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए पहले मामले में 2004-05 से 2008-09 तक की अवधि के लिए ₹ 7 लाख की वसूली की सूचना दी और दूसरे मामले में बताया कि मांग सहित कारण बताओ ज्ञापन जारी किया जा रहा है (अक्तूबर 2009 एवं मार्च 2010)।

मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

नई दिल्ली **(सुवीर मल्लिक)**
दिनांकः **प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)**

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांकः **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**